




Celebrating 250 glorious years of mapping the Nation

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



फोन / Phone: 27201181(EPABX). 27200430

टेलि-फैक्स / Tele-Fax: 27200430

ई-मेल/ E-mail: gisrs soi@gov.in

भौगोलिक सूचना पद्धति और सुदूर संवेदन निदेशालय
GIS & REMOTE SENSING DIRECTORATE

उप्पल, हैदराबाद -500 039(टि.एस)
UPPAL, HYDERABAD - 500 039 (TS)

नेमी आदेश संख्या सी- 01 /37-जी-9/जी.आई.एस. एंव सु.सं. दिनांक 23 जनवरी, 2020

ROUTINE ORDER NO.C- 01 /37-G-9/GIS & RS DATED 23 JANUARY, 2020

I. प्रारम्भिक वर्गीकरण / INITIAL CLASSIFICATION:-

(i) इस निदेशालय के श्री डी.सी.एच.मौलाली, एम.टी.एस. (खलासी) को दो वर्ष (01-04-2017 से 31-03-2019 तक) का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 3 में दिनांक 01-04-2019 से ग्रुप 'सी' (डिविजन -II) भण्डारपाल ग्रेड- IV के ग्रेड में प्रारम्भिक वर्गीकरण किया जाता है । वर्गीकरण पर, वेतन निर्धारण के लिए एफओआर 22 (1) (ए) (2) के नियम और शर्तें लागू की जानी है ।

Shri D.Ch.Moulali, MTS (Khalasi) of this Directorate who has successfully completed the two year (01-04-2017 to 31-03-2019) training is hereby initially classified as Store Keeper (Grade IV) in Group 'C' (Division-II) service, in Level 3 of the Pay Matrix, with effect from 01-04-2019. On initial classification, the terms and conditions under F.R.22 (I) (a) (2) are to be applied for fixation of Pay.

(प्राधिकार: महासर्वेक्षक कार्यालय का विभागीय आदेश सं0 स्था.2- 5819/2133-डी.सी.(संग्रह-32), दिनांक 23-09-2019 एंव स्था.2- 7847/2133-डी.सी.(संग्रह.33, दिनांक 26-12-2019).

(ii) इस निदेशालय के श्री पी. सुब्बारायडु, एम.टी.एस. (दफादार) को दो वर्ष (01-10-2017 से 30-09-2019 तक) का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतन मेट्रिक्स के लेवल 3 में दिनांक 01-10-2019 से ग्रुप 'सी' (डिविजन - II) अभिलेखपाल ग्रेड- IV के ग्रेड में प्रारम्भिक वर्गीकरण किया जाता है । वर्गीकरण पर, वेतन निर्धारण के लिए एफओआर 22 (1) (ए) (2) के नियम और शर्तें लागू की जानी है ।

Shri P. Subbarayudu, MTS (Daffadar) of this Directorate who has successfully completed the two year (01-10-2017 to 30-09-2019) training is hereby initially classified as Record Keeper (Grade IV) in Group 'C' (Division-II) service, in Level 3 of the Pay Matrix, with effect from 01-10-2019. On initial classification, the terms and conditions under F.R.22 (I) (a) (2) are to be applied for fixation of Pay.

(प्राधिकार: महासर्वेक्षक कार्यालय का विभागीय आदेश सं0 स्था.2- 325/2133-डी.सी.(संग्रह-32), दिनांक 18-10-2019 एंव स्था.2- 7848/2133-डी.सी.(संग्रह-33), दिनांक 26-12-2019.

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा । अतिरिक्त सन्निहित व्यय वित्तिय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा ।

The pay of the above individuals will be fixed by the Head of Office. The extra expenditure involved will be met from and within the sanctioned budget grant of this Directorate for the financial year 2019-2020 and debited to the appropriate head of account.